न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 693 / 2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
राजेन्द्रसिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी– नेवरा तहसील ओसिया, जोधपुर।		1. लूणसिंह पुत्र विजय सिंह जाति राजपूत निवासी– नेवरा तहसील ओसिया, जोधपुर। 2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, ओसिया।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनाक 09.11.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियाँ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 110 / 2022 अनवान राजेन्द्रसिंह बनाम लूणसिंह वगैराह में पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री लादूराम पूनिया, अशोक पूनिया, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।

2– श्री अक्षय दवे, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।

3– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 19 मई, 2023

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट का इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम नेवरा के अपीलान्ट की खातेदारी के खसरा नंबर 1655 / 2 रकबा 0.1619 हैक्टर बीघा तथा रेस्पो0 संख्या 1 के खेत खसरा संख्या 1505 / 2 रकबा 0.2023 हैक्टर भूमि पास–पास आई हुई है। प्रार्थी की उक्त भूमि की उत्तरी सीमा में रेस्पोडेन्ट ने दखलअंदाजी कर उनके खेत की मौके पर स्थित सीमाओं को खुर्दबुर्द करने का प्रयास किये जाने पर प्रार्थी ने पैमाइश के लिये तहसीलदार ओसियाँ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी अनुपालना में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आकर दोनों पक्षों की उपस्थिती में भूमि का सीमांकन किया तथा सीमा से अवगत कराया। तत्पश्चात अपीलान्ट द्वारा सीमाचिन्ह पर पक्के मुटाम स्थापित कर तारबन्दी करनी शुरू की तब रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने पत्थर रोपने से मना कर दिया। अतः उक्त भूमि पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगण द्वारा अपना जवाब पेश करते हुए प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का कथन किया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बिना किसी कारण के अस्वीकार करने का आलौच्य आदेश दिनांक 09.11.2022 को पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

...के अधिवक्ताओं की बहस सुनी

गई । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस
में यह भी कथन किया कि अप्रार्थी संख्या एक के द्वारा पूर्व में की गई पैमाइश
रिपोर्ट को मानने से इन्कार किया गया तब उपखण्ड अधिकारी न्यायालय को
तहसीलदार से मौका पैमाइश रिपोर्ट मंगवाकर अग्रिम कार्यवाही की जानी चाहिये
थी जो दोनों पक्षों की उपस्थिति में पटवारी हल्का द्वारा की गई थी। अपीलान्ट का
प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया जो विधि विपरित होने से निरस्त करने योग्य है।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि पैमाइश रिपोर्ट प्राप्त होने
पर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये था जो नहीं दिया गया,
जो प्राकृतिक न्याय एवं विधिक प्रकिया के खिलाफ होने से अपीलाधीन आदेश
निरस्त करने योग्य है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मामला
विवादित नहीं होना मानने में भी भारी भूल कारित की है जबकि रेस्पोंडेन्ट ने अपने
जवाब प्रार्थना पत्र में अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए
जवाब भी पेश किया गया था जिसकी अनदेखी कर अपीलाधीन आदेश पारित किया
गया है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत
अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी करवाये जाने हेतु पटवारी हल्का की
मौका रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार किये जाने योग्य था क्योंकि अपीलार्थी अपनी भूमि
का खातेदार होने से अपने खेत की माठ सीमा में कोई रददोबदल से बचने के
लिये पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दू पर
कोई ध्यान नहीं दिया गया और प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया जो स्वीकार होने
योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई विधिक बिन्दू अंकित
प्रार्थी/अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया। अतः उपरोक्त सभी तथ्यों
पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जावे तथा उक्त खसरान भूमि की पत्थरगढी
किये जाने का आदेश प्रदान करावें। अपीलान्ट द्वारा फॉर्म नं. 3 के साथ दस्तावेजों
की प्रतियॉ अवलोकनार्थ प्रस्तुत की।

रेस्पो0 संख्या एक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने प्रत्युतर में यह कथन
किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को
विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालाय के समक्ष अपीलान्ट
द्वारा भूमि की पत्थरगढी करवाये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर
उनके द्वारा जवाब पेश किया गया तथा पत्थरगढी नहीं किये जाने का न्यायालय से
निवेदन किया था जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का प्रार्थना
पत्र अस्वीकार किया गया है जो विधि अनुकूल उचित होने से बहाल रखे जाने
योग्य है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्ट ने
... के समक्ष यह कथन किया था कि प्रार्थी की उपरोक्त भूमि

ख0सं0 1655/2 रकबा 0.1619 हैक्टर भूमि के उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या के खतेदारी की ख0सं0 1505/2 रकबा 0.2023 हैक्टर भूमि आई हुई है जिसमें अप्रार्थी संख्या एक ने दखलअंदाजी करते हुए मौके पर विध्यमान सीमाओं को खुर्दबुर्द करना शुरू किया जिस कारण प्रार्थी द्वारा तहसीलदार ओसियॉ के समक्ष आवेदन कर सीमाकंन करवाया तथा कच्चे मुटाम लगवाये और तारबन्दी करने का प्रयास करने पर अप्रार्थी द्वारा इन्कार कर दिया जिससे विवाद होने पर पत्थरगढी करवाये जाने हेतु आवेदन किया। प्रार्थनापत्र के साथ दिनांक 13.03.2021 की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की। तब रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा जवाब पेश किया जिसमें अंकित किया कि पक्षकारान की भूमि के मध्य अधिकारों के अनुरूप वर्षो से फाचरों की दीवार तथा पक्की दीवार विध्यमान है तथा अपनी स्वेच्छानुसार अपने हक–अधिकार की भूमि का उपयोग/उपभोग कर रहे है, उनके द्वारा किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं की गई है बल्कि अपीलान्ट द्वारा उनकी भूमि में दखलअंदाजी करना शुरू कर दिया था। वास्तव में मौके पर किसी प्रकार का विवाद होता तो अपीलान्ट द्वारा पुलिस कार्यवाही अवश्य ही की जाती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की समुचित सुनवाई पश्चात ही अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया था जो किसी प्रकार से विधि विपरित नहीं है जो बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि पक्षकारान को अपनी–अपनी भूमि की सीमा का ज्ञान हो चुका है, पटवारी हल्का के द्वारा सीमा पर चिन्ह भी लगवाते हुए कच्चे मुटाम भी लगा दिये थे तथा मध्य में कोई विवाद नहीं रहा है जिसकी मौका फर्द दिनांक 13.03.2021 तैयार कर प्रस्तुत की गई किन्तु अपीलान्ट द्वारा दखलअंदाजी का प्रयास किया गया। उक्त मौका फर्द से स्पष्ट है कि अपीलान्ट को सीमाज्ञान हो चुका था तो वहॉ धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है और इन्हीं कानूनी बिन्दू के आधार पर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि कारित नहीं की है जो बहाल रखा जावे एवं अपीलान्ट की अपील विधि अनुसार पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार की जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो, अपीलांधीन आदेश दिनांक 09.11.2022 का अवलोकन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत सीमांकन मौका फर्द दिनांक 13.03.2021 मे न तो नाप का विवरण दर्ज है व न ही मुस्तकिल बिन्दुओ का हवाला दिया गया है। सीमांकन मौका फर्द सभी प्रभावित हितबद्व काश्तकारान की उपस्थिति मे भी तैयार की हुई नही प्रतीत होती है। पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार मूल खंसरा नम्बर 1655 व 1505 के छोटे–छोटे टुकडे कर बैचान कर दिए

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

तद्नुसार भूमि पर कब्जा होना प्रतिवेदित हुआ है। खंसरा नम्बर 1655/2 व 1505/2 मे मध्य फाचरो की पुरानी दीवार का उल्लेख पत्रावली पर है तथा विवाद का कोई साक्ष्य भी पत्रावली पर नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के मध्यनजर अपीलांन्ट की अपील अस्वीकार की जाती है व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.11.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19 मई,2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर